

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना


संख्या-5 न0वि0/गठन-29/2020- 1003 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत चकिया का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4380 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् चकिया	चकिया -136 (पूर्ण भाग) कुआवाँ -145 (पूर्ण भाग) घंघटी- 146 (पूर्ण भाग) वैशाहाँ -134 (अंश भाग) बरमदिया-132 (अंश भाग)	चकिया, कुआवाँ, (पूर्ण भाग) वैशाहाँ एवं बरमदिया (आंशिक)	उत्तर-वैशाहाँ-134, बरमदिया-132 दक्षिण-भुवन छपरा-143, शीतलपुर-148 पूरब-तरनिया-137 पश्चिम-शीतलपुर-148, बरमदिया-132	40854

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् चकिया कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अरविन्द कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-29/2020- 1003 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-03/03/21

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-29/2020- 1003 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-03/03/21

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सचिव, के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5 न0वि0/गठन-29/2020- 1003 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-03/03/2021

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।